प्रकरण संख्या 17/2019 राजेन्द्र व अन्य बनाम सोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीम में आराजी नंबर 10485 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं आराजी नंबर 16557/8836 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 के पिता मोहनलाल पिता महादेव जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिसकी मृत्यु दिनांक 07.02.2000 को हो चुकी है, जिसके पश्चात् नामान्तकरण हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 के नाम खुला एवं मौके पर हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजियात से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी विपक्षी संख्या 1 व 2 हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 बेदखल करना चाहते हैं तथा कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः विपक्षी संख्या 1 व 2 को इस आशय की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजियात से प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 को बेदखल नहीं करें तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.10.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री डी. एस. चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अपीलान्ट ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्[illegible] एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील [illegible] ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने उक्त प्रकरण को सीधे ही दिनांक 23.05.2018 को राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का बिना कोई अवसर दिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली को अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया था इसके बावजूद भी पत्रावली अपीलीय न्यायालय को प्रेषित नहीं की गयी, जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का उक्त पत्रावली में अन्य प्रकार का हित निहित होना प्रमाणित हो रहा है। अन्यथा माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब किये जाने के बाद प्रेषित नहीं करना तथा पत्रावली को निर्णित करने के बाद अपीलीय न्यायालय में प्रेषित करना अपने आप में संदेह उत्पन्न करना प्रमाणित हो रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.01.2018 अनुसार पत्रावली विपक्षीगण के जवाब हेतु नियत था, किन्तु विपक्षीगण का बिना जवाब लिये प्रकरण नियत पेशी दिनांक के स्थान पर अन्य दिनांक 23.05.2018 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने से व मौके पर शान्ति होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:34:35 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर